

2021/142

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का गणेशपुरा

महोदयजी, निवेदन है कि ग्राम सदरामजी का खेड़ा के खाना संख्या 66 में उमाजी का नाम दिनेश पुत्र हीतरलाल धाकड़ एवं दिनेश कुमार पुत्र हीतरलाल धाकड़ का नाम दिनेश कुमार पुत्र हीतरलाल धाकड़ दर्ज किया जाना उचित है।

रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक वृत्त उमाजी खेड़ा

दिनांक 31-10-21

महोदयजी, निवेदन है कि ग्राम सदराम जी खेड़ा में खाना सं. 66 में दिनेश पुत्र हीतरलाल धाकड़ का नाम दिनेश कुमार पुत्र हीतरलाल धाकड़ दर्ज किया जाना उचित है।

दिनांक 31-10-21

रिपोर्ट तहसीलदार, विजौलियां

दिनांक 01-11-2021

सं. 21/04

महोदयजी, निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी गणेशपुरा वृत्त उमाजी खेड़ा का खेड़ा तथा संलग्न रकनावेण अनुसार ग्राम सदरामजी खेड़ा के खाना सं. 66 में दिनेश पुत्र हीतरलाल धाकड़ का नाम दिनेश कुमार पुत्र हीतरलाल धाकड़ दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

तहसीलदार

के.एस. राव

पटवारी प.ट. गणेशपुरा व भू.अ.नि. उमाजी खेड़ा की जांच रिपोर्ट एवं तहसीलदार विजौलियां की स्पष्ट अनुशंसा के आधार पर अतिरिक्त दिनेश कुमार पुत्र हीतरलाल धाकड़ की ग्राम सदरामजी खेड़ा के खाना संख्या 66 में दिनेश पुत्र हीतरलाल धाकड़ के स्थान पर दिनेश कुमार पुत्र हीतरलाल धाकड़ जाति धाकड़ किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 (उपखण्ड अधिकारी विजौलियां (पट. गांव))

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, विजां लिगा
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान...हातरवाली का खेड़ा...

—:आदेश:—

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी दिनेश कुमार पुत्र ह्यीतरलाल धाबड़ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार विजां लिगा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान न्यू-रा अभिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम हातरवाली का खेड़ा तहसील विजां लिगा जिला बांसवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2026-79 में खाता संख्या 66 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	सदा राम जी का खेड़ा	66	दिनेश पुत्र ह्यीतरलाल धाबड़ अंकित है।	दिनेश कुमार पुत्र ह्यीतरलाल धाबड़ किया जाता है।



क्रमांक :- 159/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, विजां लिगा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री दिनेश कुमार पुत्र ह्यीतरलाल धाबड़ वि. देवाड़ा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(सौमा सिवाड़ी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, विजां लिगा
विजां लिगा

दिनांक :-

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, विजां लिगा
विजां लिगा